फा.सं. 4-181/2016-17/रा.म.आ.
राष्ट्रीय महिला आयोग
नई दिल्ली

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली- 110025

तारीख: 2 मई, 2017

विषय: आयोग की 172वीं बैठक के कार्यवृत्त- के संबंध में

राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हाल में तारीख 17 मार्च, 2017 को 12 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग की 171वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट है, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

(वी.वी.बी.राजू)
उप सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव(जीएन)/वेतन और लेखा अधिकारी

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में तारीख 17 मार्च, 2017 को 12 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग कि 172वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष की अनुज्ञा से सयुंक्त सचिव ने क्रमानुसार बैठक की कार्यसूची की मदों को प्रस्तुत किया।

निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:

कार्यसूची मद सं. 1:- तारीख 27 जनवरी, 2017 को आयोजित आयोग की बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2017 को आयोजित आयोग की 171वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:- शिकायतों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया-श्री आलोक रावत, सदस्य द्वारा दिया गया नोट।

कार्यसूची मद सं.9 के सामने ज्येष्ठ समन्वयक शिकायत और अन्वेषण कोष्ठक द्वारा दर्शित पी.पी.टी. के साथ इस विवाद्यक पर विचार विर्मश किया गया है।

(कार्रवाई: शिकायत और अन्वेषण कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 3:- राष्ट्रीय महिला आयोग के अभिलेखों का डिजिटीकरण के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।

आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य की स्केनिंग और डिजिटिकरण के लिए इनआईसीएसआई को 29.67 लाख रूपये का भुगतान करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन किया।

अध्यक्ष का यह मत है कि शीध्रतापूर्वक अभिलेख का डिजिटिकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक कर्मचारी के पास अंग्रेजी और

हिन्दी दोनों भाषाओं में न्यूनतम बुनियादी प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे कि वे प्रतिदिन के कार्य कर सके और शीध्रता से ई-कार्यालय प्रणाली पर कार्य करना आरम्भ कर दें ।

(कार्रवाई: साधारण प्रशासन)

कार्यसूची मद सं. 4:- केलाशलिंगम विश्वविद्यालय, आनंद नगर, कृष्णनकोइल, तमिलनाडु 626126 द्वारा "महिला आचरण पर भारतीय धारावाहिक (सोप ओपरा) का असर: तमिलनाडु और केरल" में एक तुलनात्मक अध्ययन पर अनुसंधान अध्ययन - के संबंध में।

आयोग ने केलाशलिंगम विश्वविद्यालय, आनंद नगर, कृष्णनकोइल, विरूधुनगर, तमिलनाडु 626126 द्वारा 10 मास की अवधि के लिए किये गए अध्ययन के लिए केवल 9.03 लाख रूपये के कुल बजट का अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं. 5:- राजस्थान में घरेलू हिंसा पर अनुसंधान अध्ययन-अंजनेय सेवा समिति, उदयपुर द्वारा एक आनुभविक विश्लेषण।

आयोग ने अंजनेय सेवा समिति, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार किया और अनुसंधानकर्ता द्वारा रखी गई अध्ययन की सीमाओं पर विचार करने के पश्चात् ये विनिश्चय किया गया है कि इस मामले को बंद कर दिया जाए और उपयोगिता प्रमाणपत्र के तथ्यों को तथा वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए लेखा विवरणों को ध्यान में रखते हुए समिति को निर्मोचित की गई 89,460 रूपये की रकम का उपयोग समिति द्वारा कर लिया गया है इसलिए ये विनिश्चय किया जाता है कि संगठन को और आगे निधियां निर्मोचित ना की जाए।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष का यह मत है कि ऐसे राज्यों के भारसाधक-सदस्य जहां ऐसा अध्ययन करना प्रस्तावित है वहॉ पर अनुसंधान अध्ययन देने के संबंध में विचार करते समय उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 6:- टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई और राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज (एनआरआईडी और पीआर), हैदराबाद के सहयोग से झारखण्ड के पंचायती राज संस्थाओं में की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता आधारित प्रशिक्षण को बढ़ाना-बजट का कार्योत्तर अनुमोदन और अनुसमर्थन-के संबंध में।

आयोग ने टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई और राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआरआईडी और पीआर), हैदराबाद के सहयोग से झारखण्ड की पंचायती राज संस्थाओं में की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता आधारित प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए 8 मास की अवधि के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर), हैदराबाद को 2,18,25,540 रूपये के कुल बजट का अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं. 7:- देवदासियों और इससे संयुक्त दुष्कर्मों के रूप में महिलाओं का शोषण- मद्रास विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन - के संबंध में।

आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकार किया और उपयोगिता प्रमाणपत्र, वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा विवरणियों और बिलों/वाउचरों के सत्यापन के अधीन रहते हुए 1,40,580 रूपये के शेष भुगतान के निर्मोचन का अनुमोदन किया।

(कार्रवाई:- पीपीएमआरसी कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 8:- एसिड हमला पीड़ितों की मानीटरिंग करना - प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रास्थिति रिपोर्ट भेजी जाएगी - के संबंध में

आयोग ने विद्यमान प्रास्थिति पर विचार किया और ये इच्छा व्यक्त की कि आज की तारीख तक आयोग में प्राप्त हुए डाटा के संकलन के साथ शीध्रतापूर्वक प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए। आयोग ने पीड़ितों को उपलब्ध प्रतिकर की रकम के बारे में भी विचारविमर्श किया और यह इच्छा व्यक्त की कि ऐसे मामलों में न्यूनतम प्रतिकर की रकम देना आवश्यक है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को संवेदनग्राही बनाने की आवश्यकता है।
अध्यक्ष ने आगे यह इच्छा व्यक्त की कि एसीड हमले की पीड़ितों के पुर्नवास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क किया जाए और किसी राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पूरा डाटा प्रस्तुत न करने की दशा में यदि डाटा में कोई कमी हो तब गैर-सरकारी संगठनों से डाटा प्राप्त किया जाए।

(कार्रवाई:- शिकायत और अन्वेषण कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 9:- राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया का पुर्नोवलोकन - के संबंध में।

आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में सुझाव दिया गया था उसका अनुमोदन किया और इसे तुरंत कार्यान्वित करने का अनुदेश किया। इस संबंध में तुरंत सभी राष्ट्रीय महिला आयोगों की एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

अध्यक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की कि राज्य और जिला स्तर के दोनों प्राधिकारियों से, समयक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् किसी शिकायत के शीध्र प्रतितोष के लिए, संपर्क किया जाए। ये भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित मानक शिकायत प्ररूप जिसे पुर:स्थापित किया जाना है वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिए और उसमें निम्नलिखित ब्यौरे अर्थात् माता का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नं., ई-मेल पता आदि से संबंधित ब्यौरे होने चाहिए और यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिससे की कोई भी ग्रामीण महिला आसानी से इसके ब्यौरों को समझ सके।

(कार्रवाई:- शिकायत और अन्वेषण कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 10:- राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वागत कक्ष पर लगे हुए विडियो स्क्रीन पर घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के संरक्षण पर पावरपाइंट प्रस्तुतियों (पी.पी.टीस.) को दिखाना - के संबंध में।

आयोग ने उपर्युक्त दो विषयों पर दिखायी जाने वाली पावरपाइंट प्रस्तुतियों (पी.पी.टीस.) पर विचार विर्मश किया और ये इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वागत कक्ष पर लगाये गए विडियो स्क्रीन पर दिखाने से पहले उसकी विषय-वस्तु अधिक स्थानीय और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। आयोग ने इस प्रयास की सराहना की और सिद्धांत: उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(कार्रवाई:- पीआर कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 11:- राष्ट्रीय महिला पत्रिका और उसके प्रभारों पर आर.एन.आई. संख्या का मुद्रण।

सदस्य सचिव ने राष्ट्रीय महिला पत्रिका पर आर.एन.आई संख्या को मुद्रित करने की आवश्यकता के बारे में ब्यौरेवार कारण बताया और आयोग द्वारा अपने स्वयं के बजट से विक्रय की लागत को पूरा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। आयोग ने श्री सरवेश पांडे, परामर्शदाता द्वारा तैयार किये गये पावरपाइंट प्रस्तुतियों (पी.पी.टीस.) को सभी सदस्य को प्रचालित करने तथा अध्यक्ष को ई-मेल पर भेजने का निर्देश किया।

(कार्रवाई:- पीआर कोष्ठक)

कार्यसूची मद सं. 12:- राष्ट्रीय महिला आयोग के संविदात्मक और दैनिक मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि के फायदों का विस्तार-के संबंध में।

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महिला आयोग के संविदात्मक ओर दैनिक मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि के फायदों का संदाय करने की बाबत एक प्रश्न किया क्योंकि भारत सरकार के नियमों के अधीन ऐसा करना अनिवार्य है और यदि ऐसा है तो भारत सरकार के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया तत्समान सुसंगत सरकारी आदेश क्या है। अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की इस विषय में कोई वित्तीय प्रतिबद्धता है तब उसे आयोग द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले महिला और बाल कल्याण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को निर्देशित करना आवश्यक है।

(कार्रवाई: प्रशासन)

कार्यसूची मद सं. 13:- राष्ट्रीय महिला आयोग के दैनिक मजदूरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के फायदों का विस्तार - के संबंध में ।

अध्यक्ष का यह मत है कि यदि राष्ट्रीय महिला आयोग से कोई वित्तीय प्रतिबद्धता समावेशित है तब इस विषय को भी एक बार फिर से महिला और बाल विकास मंत्रालय को उनकी राय और कम-से-कम उनकी अनुमति के लिए निर्देशित करना आवश्यक है।

(कार्रवाई:- प्रशासन)

कार्यसूची मद सं. 14:- राष्ट्रीय महिला आयोग के संविदात्मक कर्मचारियों के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण।

अध्यक्ष ने यह विचार अभिव्यक्त किया कि पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है और उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक रकम की बढ़ोतरी समान प्रतिशत में मंजूर करना अनुचित है क्योंकि इससे सामान्यावस्था को बढ़ावा मिलेगा और श्रेष्ठ कर्मचारी को श्रमफल नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा पिछली बार किया गया था उसी तरह मामले से मामले के आधार पर पारिश्रमिक का पुनरीक्षण होना चाहिए न कि सबके लिए समान आधार पर। अंतिम रूप से अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि साधारण मुद्दा यह है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कई बार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दैनिक मजदूरों और/या संविदात्मक कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर रहने को प्रश्नगत किया है और आयोग के कर्मचारियों की युक्तिसंगत प्रक्रिया में लगा हुआ है इसलिए हमें ऊपर के विनिश्चयों में किसी विनिश्चय के संबंध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि अधिकतर संविदात्मक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु के है और इसलिए वे समय निर्धारण आदि के लिए हुए बदलाव के अनुसार, ढलने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए आयोग को नए, युवा, अधिक अर्हित, आशावादी पीढ़ी के कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वेतन का पुनरीक्षण न करने के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग में कर्मचारी टिक नहीं रहे है यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तथ्य यह है कि मध्य (नई) दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय बहुत दूर है और कर्मचारियों में कार्य करने में अत्यधिक कुशलता को अंगीकृत करने की इच्छा नहीं है तथा मध्यम और ज्येष्ठ प्रशासन के कर्मचारियों का व्यवहार ब्लेकमेल करने जैसा है जिसके कारण यह संकट सामने आया है। इसलिए वेतन, मानदेय आदि बढ़ाने के लिए तत्पर होने के स्थान पर आयोग को बेहतर, कम लागत और वहनीय हल निकालने की आवश्यकता है। अंत में अध्यक्ष ने संविदात्मक और/या दैनिक मजदूरी कर्मचारियों को आवास, सी.जी.एच.एस, ई.पी.एफ. आदि सुविधाओं के बदले संदत्त प्रोत्साहन के प्रश्न पर विचार किया। यदि कभी आयोग इन सुविधाओं का विस्तार करने का विनिश्चय करेगा तो इन प्रोत्साहनों को संदत्त करने की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय महिला आयोग को दोगुनी मार झेलनी पड़ रही है और उक्त कर्मचारियों को दोगुना फायदा हो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कब तक इनके आगे झुकेगा और इनसे समझौता करेगा? यदि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अप्रयुक्त निधियां उपलब्ध है तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का यह कर्तव्य नहीं है कि वह भारत की हाशिए पर पड़ी हुई, निशक्त, मत

वंचित महिलाओं के दुखों को कम करने के कार्यक्रमों पर खर्च करे न कि जो कर्मचारी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे है उन्हें ईनाम दें।

कार्यसूची मद सं. 15:- राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारियों को मानदेय की मंजूरी - के संबंध में।

अध्यक्ष ने यह वांछा की कि मामले से मामले के आधार पर कर्मचारियों को मानदेय मंजूर किया जा सकता है किन्तु यह व्यष्टिक कर्मचारी के कार्यनिष्पादन पर आधारित होना चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 16:- राष्ट्रीय महिला आयोग में सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की स्थिति - के संबंध में।

इस विषय को तारीख 21 मार्च, 2017 की प्रस्तावित बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सकता है जहां सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित विवाद्यकों पर चर्चा की जाएगी।.

कार्यसूची मद सं. 17:- श्रीमती सुषमा साहू, सदस्य द्वारा किए गए दौरों की रिपोर्ट - के संबंध में।

आयोग ने श्रीमती सुषमा साहू के दौरों की रिपोर्ट पर विचार किया।

कार्यसूची मद सं. 18:- कार्यालय भवन का अनुरक्षण - मैसर्स एन.बी.सी.सी. सर्विसेज लि. (एन.एस.एल.) को भागत: संदाय का निर्मोचन।

आयोग ने मैसर्स एन.बी.सी.सी. सर्विसेज लि. को भागत: संदाय करने को प्रभावी करने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

कार्यसूची मद सं. 19:- पीपीएमआरसी कोष्ठक द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2017 को आयोजित आयोग की बैठक पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

आयोग ने पीपीएमआरसी कोष्ठक की, की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया।

उपरोक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2. सुश्री रेखा शर्मा	सदस्य
3. सुश्री सुषमा साहू	सदस्य
4. श्री आलोक रावत	सदस्य
5. श्रीमती सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित ने भाग लिया:-

1. श्रीमति वंदना गुप्ता	संयुक्त सचिव
2. श्री वी.वी.बी.राजू	उप सचिव
3. श्री जी. नागराजन	अवर सचिव

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ.